राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–49 / 2024

गोपाल ठाकुर बनाम् सुवैदा खातून।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–14.11.2024, दिनांक–03.12.2024, दिनांक–07.01.2025 तथा दिनांक–16.09.2025 को की गई, जिसमें वादी श्री गोपाल ठाकुर स्वयं उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी श्रीमती सुवैदा खातून द्वारा अपना पक्ष स्वयं रखा गया। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी की ओर से श्री राकेश कुमार झा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

वादी द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी सुवैदा खातून का जाति प्रमाण–पत्र गलत है, क्योंकि ईस्लाम धर्म के अनुयाइयों में जाति विभाजन प्रतिबंधित है, अर्थात् इनको प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र, जिसमें इनकी जाति **"नाई"** अंकित है, गलत है, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी पंडौल पश्चिमी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या–09 से वार्ड सदस्य है, जो कि अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। उनके द्वारा अंत में अनुरोध किया गया कि बिहार राज्य में **"मुस्लिम नाई"** जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु निर्गत अनुसूची–01 के किसी भी क्रम में शामिल नहीं हैं, जबकि हिन्दु नाई जाति क्रमांक–44 पर सूचीबद्ध है। अतः उनको प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र अवैध है। इस कारण से उन्हें वार्ड सदस्य के पद से हटाना जाना चाहिए।

प्रतिवादी द्वारा आयोग को बताया गया कि वह **"मुस्लिम नाई"** जाति से संबंधित है तथा उनका जाति प्रमाण–पत्र सही है।

उनके द्वारा आगे यह भी बताया गया कि बिहार सरकार के गज़ट–पत्र के नोट में यह अंकित है कि **"उन जातियों तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दु तथा मुस्लिम दोनों जातियों को समझना चाहिए, जैसे तेली में दोनोंः– हिन्दु तथा मुसलमान तेली।"**

प्रतिवादी द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके कई पीढ़ी पूर्व उनके पूर्वज हिन्दु धर्म का पालन करते थे तथा इनका संबंध **"हजाम(नाई)"** जाति से रहा है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आयोग को बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–13623 सा0प्र0, दिनांक–10.09.2015 द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची–01 की अद्यतन सूची प्रकाशित है, जिसके क्रमांक–44 पर **"नाई"** जाति अंकित है, इसके अतिरिक्त उक्त क्रम पर न तो हिन्दु अंकित और न ही मुस्लिम। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि कई जातियों के क्रम में जाति के अंकन के साथ–साथ पार्श्व में कोष्ठक में मुस्लिम लिखा हुआ है। उनके द्वारा उदाहरण स्वरूप क्रमांक–112 पर अंकित जातियों का अवलोकन आयोग को कराया गया। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि आयोग द्वारा निर्गत S.O.P. के तहत अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के नेतृत्व में त्रिसदस्यीय जाँचदल(अपर समाहर्त्ता, मधुबनी, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मधुबनी) द्वारा जाँचोपरांत अपना प्रतिवेदन

दिया गया है, जिसे जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा पत्रांक–890/जि0पं0, दिनांक–24.02.2025 के माध्यम से आयोग को प्रेषित किया गया है।

आयोग द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसका निष्कषात्मक अंश निम्नवत् है:–

''श्रीमती सुबैदा खातून द्वारा प्रस्तुत किये गये, खतियान में जाति के रूप में **''हजाम''** अंकित है। वे मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है। जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCCO/2021/1336639 में जाति के रूप में नाई अनुक्रमांक–44 अंकित है। नियमतः श्रीमती सुबैदा खातून के मुस्लिम समुदाय तथा हजाम जाति से संबंधित होने के कारण जाति प्रमाण–पत्र **''ठकुराई(मुस्लिम)''** अनुक्रमांक–100 का बनना चाहिए।

अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के द्वारा दिया गया संयुक्त जाँच प्रतिवेदन तथ्यात्मक है, जिससे अद्योहस्ताक्षरी(जिला पदाधिकारी, मधुबनी) सहमत है।''

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का दावा पूर्व धारणा पर आधारित है, न कि वास्तविक तथ्यों पर। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अत्यन्त पिछड़ी जाति हेतु निर्गत अनुसूची में स्पष्ट रूप से अंकित है कि वैसे जाति जो दोनों समुदायों(अर्थात् हिन्दू एवं मुस्लिम) में समान रूप से पाये जाते हैं, उन्हें एक ही क्रमांक के साथ जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकते है। वैसी जातियाँ जो केवल मुस्लिम समुदाय से संबद्धता रखती हैं, उनके क्रमांक में अंकित जाति के ठीक बगल(पार्श्व) में **''मुस्लिम''** शब्द कोष्ठक में अंकित है। अतः वादी का यह धारणा की मुस्लिम समुदाय में जाति विभेद नहीं है, सैद्धांतिक रूप से सही हो सकता है, परन्तु वास्तव में मुस्लिम समुदाय में भी जाति विभेद है, जो कि स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अनुसूची–01 से प्रमाणित है।

त्रिसदस्यीय जाँचदल के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती सुवैदा खातून के पूर्वज **''हजाम''** जाति से संबंध रखते थे तथा इनका वर्तमान विवाह भी **''हजाम''** जाति के अन्तर्गत सम्पादित हुआ है, जिससे प्रमाणित होता है कि पितृपक्ष के अनुसार उनकी जाति ''हजाम'' है, जो कि वैवाहिक संबंधों से भी परिपुष्ट होता है।

जाँचदल का यह निष्कर्ष उचित प्रतीत नहीं होता कि प्रतिवादी को **''ठकुराई(मुस्लिम)''** अनुक्रमांक–100 के अनुसार जाति प्रमाण–पत्र निर्गत होना चाहिए, क्योंकि **''ठकुराई(मुस्लिम)''** एक अलग जाति है, जिसका संबंध **''नाई/हजाम/ठाकुर''** (हिन्दू/मुस्लिम) से नहीं है।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी का दावा तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उचित नहीं पाया गया। अतः उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु जाति प्रमाण–पत्र की वैधता की जाँच करने हेतु राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) Apex Fact Finding Body है, जिसके समक्ष वादी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है। यदि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया जाता है तथा मुस्लिम समुदाय के ''नाई'' जाति

को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना अवैध घोषित किया जाता है, तो वादी पुनः आयोग में वाद लाने हेतु स्वतंत्र होगें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
13.02.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
13.02.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–49/2024 614

पटना, दिनांक 13.2.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **मधुबनी**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधुबनी** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधुबनी** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

13/2/26
विशेष कार्य पदाधिकारी